



गौरवशाली भारत

वर्ष : 13 , अंक : 280, पृष्ठ : 08, नई दिल्ली नंगलवार 23 अप्रैल 2024, मुल्य : 2/-

RNI No .DELHIN/2011/38334

गुरुव्य अपडेट

त्वचित के बाद भी उसे जिंदा रखता है देहदान और अंग दान : प्रो. योगेश सिंह

.... पेज 03

अयोध्या-काशी ने लक्ष्य पा लिया, अब ब्रज भूमि की बारी : योगी

.... पेज 05

धर्मशाला में देश का पहला एसआईस ग्रास हाइड्रिंग पिच वाला स्टैडियम होगा

.... पेज 07

गर्मियों की भीड़ से निपटने के लिए रेलवे ने कमर कसी

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने गर्मियों में यात्रियों की भारी आवाजाही के लिए नी हजार से अधिक विशेष ट्रेनें चलाने के साथ प्रेयरेल उत्तरव्यवहार करने एवं भीड़ प्रबंधन की ओजना बनायी है। भारतीय रेलवे के अनुसार रेलवे ने 01 अप्रैल से 21 अप्रैल के द्वारा 41.16 करोड़ यात्रियों को आकाराई है। विष्णुलाल रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण की विस्तृत व्यवस्था की गई है। भीड़ को व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित करने के लिए सभी गतिविधियों की नियंत्रणी के लिए इन स्टेशनों पर वरिष्ठ रहने के द्वारा नीति और बीते 7 दिनों (15-21 अप्रैल) में 13.69 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की है। रेल मंत्रालय के अनुसार

जोनल रेलवे को रेलवे स्टेशनों पर पोर्ट के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इस साल रेलवे द्वारा प्रीप्र त्रूटी के द्वारा रिकॉर्ड संख्या में 9111 अतिरिक्त ट्रेनें हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार रेलवे ने 01 अप्रैल से 21 अप्रैल के द्वारा 41.16 करोड़ यात्रियों को आकाराई है। विष्णुलाल रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण की विस्तृत व्यवस्था की गई है। भीड़ को व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित करने के लिए सभी गतिविधियों की नियंत्रणी के लिए इन स्टेशनों पर वरिष्ठ रहने के द्वारा नीति और बीते 7 दिनों (15-21 अप्रैल) में 13.69 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की है। रेल मंत्रालय के अनुसार

सौम्या के हत्यारों की जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली से प्रकाशित

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एक अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करने वाली पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 2008 में हत्या से संबंधित मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से सभी चार दोषियों को दी गई जमानत को चुनौती देने वाले एक याचिका पर सोमवार वार्ता दिल्ली पुलिस और उन दोषियों को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति बेला एम विवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने सौम्या की मां माध्यमी विश्वनाथन की याचिका पर उन दोषियों से जवाब मांगा, जिन्हें उनकी अपील के तर्कित रहने के द्वारा नीति और दोषियों से जवाब दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 फरवरी 24 को रवि कपूर,

अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मालिक और अजय कुमार की आजीवन कारावास की सजा को निर्लंबित कर दिया था। इसके साथ ही उनकी दोषियों की अपीली सीढ़ी की धारा 302, 34 और मकोका 1999 की धारा 3(1)(द्वा) तहत दोहरे आजीवन कारावास की सजा के लिए दोषी ठहराया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 फरवरी 24 को रवि कपूर,

वार्ता दिल्ली उच्च न्यायालय यह भी ध्यान देने में असफल रहा कि एक वार जब इन आरोपियों को छोड़ दिया गया था और उनके आपत्तिजनक समझी पर विचार करने के बाद और अपराध की गंभीरता को समझने के बाद आरोपियों को यह भी दलील दी गई है कि उच्च न्यायालय यह विचार में विफल रहा। उच्च न्यायालय दोषियों के आपाराधिक इतिहास और उनके द्वारा किए गए अपराधों की गंभीरता को भी नहीं समझ पाया याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय यह भी ध्यान देने में असफल रहा कि एक वार जब इन आरोपियों को छोड़ दिया

बंगाल में 24 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द

हाईकोर्ट का आदेश- 8 साल की सैलरी लौटाएं; ममता बोलीं- फैसला गैरकानूनी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे



कोलकाता। कलकाता हाईकोर्ट ने सदायता प्राप्त स्कूलों के लिए टीचिंग और नौन टीचिंग स्टाफ भर्ती रहने के लिए अलावा अवैध नियुक्ति रद्द की जिसके बाद नियुक्ति रद्द होने के नियंत्रण दिए।

जनरिट देवांग और जस्टिस ब्राह्मणी की बेंच ने कलाकारों की संस्कृती के लिए अलावा अवैध नियुक्ति रद्द की जिसके बाद नियुक्ति रद्द होने के नियंत्रण दिए।

हाईकोर्ट के आदेश को मुख्यमंत्री ममता बोलीं ने गैरकानूनी बताया है। उन्होंने कहा- हाँ उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे जिनको कोई नौकरी नहीं आई। भाजपा नेता न्यायालिका के फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं। इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम प्रक्रिया कर रहे हैं।

परिचय बंगाल सरकार ने 2014 में WBSSC के जरिए सरकारी और

सदायता प्राप्त स्कूलों के लिए टीचिंग और नौन टीचिंग स्टाफ भर्ती किया था। तब 24, 640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक लोगों ने भर्ती परीक्षा दी थी।

इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए तक का घूस लेने का आरोप है। आपाराधिक कलाकारों को मोर्चा दिया गया था। भर्ती में अनियमिताताओं के मामले में CBI ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पर अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इंडी ने अप्रिंता के घर से 27.9 करोड़ रुपए के घोटाले की ओरों के बंदल थे। इसके अलावा 4.31 करोड़ रुपए के केंट्री 21 करोड़ रुपए के क्षेत्र, 60 लाख की विवेदी करेंसी, 20 फोन और अन्य दस्तावेज मिले। 124 जुलाई को इंडी ने अप्रिंता और पार्थ को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एक और आपाराधिक नौकरी में अप्रिंता के घर से 27.9 करोड़ रुपए के घोटाले की ओरों के बंदल थे। इसके अलावा 4.31 करोड़ रुपए के क्षेत्र, 21 करोड़ रुपए के क्षेत्र, 60 लाख की विवेदी करेंसी, 20 फोन और अन्य दस्तावेज मिले।

जिन उम्मीदवारों के नंबर कम हैं। इस मामले में बैंकों द्वारा एक मॉडल अप्रिंता मुख्यों से जुड़ी जानकारी भी सामान्य नहीं आई। आपाराधिक इतिहास और उनके द्वारा दाखिल की गयी अप्रिंता की घर से छापा मारा। अप्रिंता के पर्वत लिस्ट को नाम न होने पर भी नौकरी दी गई। याचिकारीओं ने दावा किया कि कुछ ऐसे भी अमीदवारों को नौकरी दी गई, जिन्होंने TET परीक्षा भी पास नहीं की थी, जबकि राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए TET की परीक्षा पास करना अप्रिंता के लिए एक अवैध नियुक्ति थी।

हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे

इसी तरह से राज्य में 2016 में SSC द्वारा ग्रुप डी की 13 हजार भर्ती के मामले में शिक्षकों की नौकरी नहीं आई। इसकी प्रक्रिया 2016 में पूरी हुई थी। इसके बाद एक और आपाराधिक नौकरी राज्य के शिक्षा मंत्री द्वारा दाखिल की गयी थी। इसके बाद एक और आपाराधिक नौकरी दी गई।

ममता बनर्जी के सरकार ने 2014 में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। इसकी प्रक्रिया 2016 में पूरी हुई थी। इसके बाद एक और आपाराधिक नौकरी राज्य के शिक्षा मंत्री द्वारा दाखिल की गयी थी। इसके बाद एक और आपाराधिक नौकरी दी गई।

ममता बनर्जी के सरकार ने आपाराधिक नौकरी के लिए अप्रिंता को गिरफ्तार किया था। उधर, आपाराधिक नौकरी के कुछ जिलों में आपाराधिक नौकरी दी गई।

परिचय बंगाल सरकार ने 2014 में

एक र्यांडा के लिए अप्रिंता को गिरफ्तार किया था। इसी तरह दोषियों के नंबर कम हैं। इस मामले में बैंकों द्वारा एक मॉडल अप्रिंता मुख्यों से जुड़ी जानकारी भी सामान्य नहीं आई। आपाराधिक इतिहास और उनके द्वारा दाखिल की गयी अप्रिंता की घर से छापा मारा। अप्रिंता के पर्वत लिस्ट को नाम न होने पर भी नौकरी दी गई। याचिकारीओं ने दावा किया कि कुछ ऐसे भी अमीदवारों को नौकरी दी गई। याचिकारीओं ने दावा किया कि कुछ ऐसे भी अमीदवारों को नौकरी दी गई। याचिकारीओं ने दावा किया कि कुछ ऐसे भी अमीदवारों को नौकरी दी गई।

जिन उम्मीदवारों के नंबर कम हैं। इस मामले में बैंकों द्वारा एक मॉडल अप्रिंता मुख्यों से जुड़ी जानकारी भी सामान्य नहीं आई। आपाराधिक इतिहास और उनके द्वारा दाखिल की गयी अप्रिंता की घर से छापा मारा। अप्रिंता के पर्वत लिस्ट को नाम न होने पर भी नौकरी दी गई। याचिकारीओं ने दावा किया कि कुछ ऐसे भी अमीदवारों को नौकरी दी गई। याचिकारीओं ने दावा किया कि कुछ ऐसे भी अमीदवारों को नौकरी दी गई। याचिकारीओं ने दावा किया कि कुछ ऐसे भी अमीदवारों को नौकरी दी गई।

इसी तरह से राज्य में 2016 में SSC द्वारा ग्रुप डी की 13 हजार भर्ती के मामले में शिक्षकों की नौकरी नहीं आई। इसकी प्रक्रिया 2016 में पूरी हुई थी। इसके बाद एक और आपाराधिक नौकरी राज्य के शिक्षा मंत्री द्वारा दाखिल की गयी थी। इसके बाद एक और आपाराधिक नौकरी दी गई।

ममता बनर्ज

